

# भारतीय रौप्याधिक

दस  
रुपये

भारत

TEN  
RUPEES

10

Rs. 10



INDIA NON JUDICIAL

शपथ अथवा प्रतिज्ञान का फार्म

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

(भारत के संविधान का अनुच्छेद 173 (क))

13AA 467328

किसी राज्य के विधान-मण्डल के लिए निर्वाचन को लिए अध्यर्थी द्वारा ली जाने वाली शपथ या किए जाने वाले प्रतिज्ञान का प्ररूप.....

"मैं ..... जो विधान सभा में एक स्थान को भरने के लिए अध्यर्थी के रूप में नामांकित हुआ हूं ईश्वर की शपथ लेता हूं/सत्य निष्ठा पूर्वक प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा और मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा।

अध्यर्थी के हस्ताक्षर.....

स्वष्ट अक्षरों में नाम.....  
.....

श्री/श्रीमती..... ने आज दिनांक ..... ०८ ..... माह ..... ०१ .....

(स्थान)..... पर ..... २५.८.०..... बजे मेरे समक्ष ईश्वर

सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञान किया। 10/12/2004

The deponent is deposing his affidavit.

I swear & Verify before you on this date.

10/12/2004 Date.....

Place.....

Advocate & Secretary

Gopeshwar (C.I.M.C.I)

Reg. No. 14, 11) 2004

(प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर)

नाम. पदनाम व महर



निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

प्रस्तुति 26

(नियम 4क देखिए)

..... 4 जून 1961 तिथि तुला  
 (निर्वाचन क्षेत्र का नाम)  
 ..... लिंगाराम (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

..... मैं कैलिकाली विदेशी अधिकारी पत्र/पत्री/पत्री हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ/ शपथ पत्र पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/ करती हूँ.....

1. मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास सं दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए हैं। (यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध(अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी) :


- (i) मामला/ प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/ संख्याएं ..... २५१
- (ii) पुलिस थाना (थाने) ..... २५१ जिला(जिले) ..... राज्य २५१
- (iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है ..... २५१
- (iv) न्यायालय जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई ..... २५१
- (v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था/ किये गये थे ..... २५१
- (vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं.....

2. मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया गया है/नहीं किया गया है। (यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं ..... २५१
- (ii) न्यायालय, जिसने दंडित किया है ..... २५१
- (iii) पुलिस थाना (थाने) ..... २५१ जिला (जिले) ..... राज्य २५१
- (iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके(जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है ..... २५१
- (v) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे ..... २५१
- (vi) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/ रोके गए हैं ..... २५१

स्थान : २१/१२९१

तारीख : १०-१-२०१२



अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

२५१

## सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूँ कि इस शपथपत्र की अंतर्वर्स्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इसका कोई भी भाग मिथ्या नहीं है और कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। मैं यह भी घोषित करता/करती हूँ कि :


(क) ऊपर के मद सं0 3 और 4 में उल्लिखित मामलों को छोड़कर मेरे खिलाफ कोई दोष सिद्ध

या लंबित मामला नहीं है ;

(ख) ऊपर मद सं0 5 और 6 में उल्लिखित परिसंपत्ति और देनदारी को छोड़कर मेरा, मेरे

पति/पत्नी या मेरे आश्रितों की कोई अन्य परिसंपत्ति या देनदारी नहीं है।

ठोप्पवा स्थान पर आज दिनांक 10-12 को सत्यापित किया।



११  
शपथकार

रूप

के

नोट - 1. शपथपत्र नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि को अधिकतम 3.00 बजे अपराह्न तक दाखिल कर दिया जाना चाहिए।

2. शपथपत्र पर ओथरकमिशनर या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

3. सभी खाने भरे जाने चाहिए और कोई भी खाना खाली नहीं छोड़ा जाना चाहिए। यदि किसी मद के संबंध में कोई सूचना नहीं हो तो या 'शून्य' या 'लागू नहीं', जैसा भी मामला हो, लिखा जाना चाहिए।

4. शपथपत्र या तो टंकित होना चाहिए या पठनीय और स्वच्छ तरीके से लिखा होना चाहिए।

१२)